

कार्यालय-कलेक्टर (सिटी मिशन प्रबंधन इकाई सूरजपुर) जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

(दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)

नगर पालिका परिषद सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

क्र./169 /CMMU / 2016

सूरजपुर, दिनांक:- 22/08/2016

शहर आजीविका केन्द्र (City Livelihood Center) की स्थापना हेतु
निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने की सूचना


नगर पालिका परिषद सूरजपुर सीमा क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक के अंतर्गत शहरी आजीविका केन्द्र स्थापित किया जा चुका है, इसके तहत बी.पी.एल. परिवारों एवं अन्य शहरी गरीबों के आजीविका संवर्धन हेतु कार्य किया जावेगा। शहरी आजीविका केन्द्र का संचालन समुदाय आधारित संगठन/गैर शासकीय संगठन से निम्नलिखित बिन्दुओं पर दिनांक 27/08/2016 समय शाम 5:00 बजे तक कार्यालय सिटी मिशन प्रबंधन इकाई, सूरजपुर में निविदा प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते हैं।

संस्था के चयन हेतु आवश्यक आर्हताएँ :-

1. आवेदनकर्ता गैर शासकीय संगठन/सामुदाय आधारित संगठन द्वारा इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संस्थान का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि संलग्न करना अनिवार्य है।
2. संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों की ऑडिट बैलेंस रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
3. शहरी आजीविका केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली शुल्क आधारित सेवाओं के सापेक्ष होने वाली आय/लभांश का सेवा प्रदाता व शहरी आजीविका केन्द्र के मध्य 10 प्रतिशत बटवारे का प्रस्ताव संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. आवेदनकर्ता/संस्था द्वारा इस क्षेत्र में किये गये कार्यों के अनुभव का विवरण अभिलेख साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आवेदनकर्ता/संस्था द्वारा प्रस्तावित शहरी आजीविका केन्द्र के संचालन हेतु ब्लूप्रिंट/प्रस्तुतीकरण/परियोजना बैलेंस शीट के साथ करना होगा।

5. आवेदनकर्ता/संस्था के द्वारा प्रस्ताव के साथ रु० 25000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. जो कि सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, सिटी मिशन प्रबंधन इकाई, सूरजपुर के नाम बंधक होगा। अपात्र संस्था हेतु वापसी योग्य होगा।
6. आवेदनकर्ता/संस्था का विवरण डेटाशीट पर उल्लेखित अभिलेखों के साथ संलग्न करना होगा।
7. आवेदनकर्ता/संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि के दो फोटो, पहचान पत्र प्रुफ व एड्रेस प्रुफ संलग्न करना होगा।
8. योजना की विस्तृत जानकारी एवं दिशा निर्देश www.nulm.gov.in पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत उपलब्ध है। आमंत्रित निविदा का प्रारूप जिले की वेब-साईट www.surajpur.gov.in पर भी अपलोड किया गया है।
9. शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना एवं संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी, दिनांक 24/08/2016 तक रुपये 250.00 का डी.डी./बैंकर्स चेक जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।



कलेक्टर
जिला सूरजपुर (छगग)